ग्राम पंचायत जदोल टपरोली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग – एक

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/ 2006 -12669, दिनांक 07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जदोल टपरोली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक का अंकेक्षण, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोज़गार सेवक कार्यरत रहे।

प्रधान:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्रीमती निशा कुमारी	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री रमेश चौहान	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री रमेश कुमार	01/04/2022 से 31/03/2023
2	श्री लव कुमार	01/04/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोज़गार सेवक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री रणदीप सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक में भारी अंतर	4.2	3.45
2	अनुदान उपयोग हेतु शेष	6.1	4.25
3	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	7.1	0.51
4	विवाह पंजीकरण फीस कम प्राप्त करना	7.2(ख)	0.04
5	पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना अनियमित भुगतान	8.1	5.99
6	भुगतान बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना	8.2	0.90
7	निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना व्यय	8.3	0.42
8	संविदाकार के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्रोत पर जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती न करना	8.4	0.07
9	निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं, आदि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	9.1	11.62
10	फॉर्म 'X' या 'Y' प्रस्तुत किए बिना निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को भुगतान	9.2	4.00
11	आपूर्तिकर्ता के बिलों से वाईडस् (Voids) की कटौती न करना	9.4	0.15

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई के अवलोकन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न तालिका में वर्णित है :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/20 से 03/21:-

क्रम	पैरा संख्या	नवीनतम स्तिथि	विवरण
1	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹5400/- की प्राप्ति की पुष्टि मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के पृष्ठ-57 पर करने के उपरान्त

2	4.1 से 4.2	निर्णित	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं।
3	4.3	अनिर्णीत	
4	5	निर्णित	ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन रोकड़ बही के संधारण उपरांत।
5	6	निर्णित	ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन रोकड़ बही के संधारण उपरांत।
6	7	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
7	8	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
8	9	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
9	10	अनिर्णीत	
10	11	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
11	12	अनिर्णीत	
12	13	निर्णित	अपेक्षित नियमानुसार करवाई उपरांत।
13	14	निर्णित	अपेक्षित नियमानुसार करवाई उपरांत।
14	15	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत जदोल टपरोली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरूण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16/01/2025 से 22/01/2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में निष्पादित किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वतः स्रोतों से आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः-

वर्ष	आय	व्यय
2022-23	04/22	05/22
2023-24	05/23	02/24

"अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना के गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।"

3 अंकेक्षण शुल्क -:

ग्राम पंचायत जदोल टपरोली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला-सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क (14 वां वित्त आयोग तथा 15 वां वित्त आयोग योजनाओं के ऑनलाइन अंकेक्षण शुल्क सहित) **₹4800** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 168 दिनांक 22-01-2025 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला-171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत जदोल टपरोली द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1 व 2** पर भी दिया गया है:-

वर्ष	योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	**सामान्य निधि/ स्व: स्रोत (OWN/General)**	1614621.47	416153	53829	**2084603.47**	1554126.5	**530476.97**
	अन्य अनुदान	329007.9	3313387.5	0	**3642395.4**	3306593.5	**335801.9**
	कुल	**1943629.4**	**3729540.5**	**53829**	**5726998.9**	**4860720**	**866278.87**
2023-24	**सामान्य निधि/ स्व: स्रोत (OWN/General)**	530476.97	212609	29288	**772373.97**	296609.8	**475764.17**
	अन्य अनुदान	335801.9	4758647	0	**5094448.9**	4669790.7	**424658.2**
	कुल	**866278.87**	**4971256**	**29288**	**5866822.9**	**4966400.5**	**900422.37**

वर्ष	योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	**14वां वित्त आयोग (14th FC)**	147268	0	1850	**149118**	20000	**129118**

	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1100343	956609	37074	**2094026**	861545	**1232481**
	कुल	**1247611**	**956609**	**38924**	**2243144**	**881545**	**1361599**
2023-24	14वां वित्त आयोग (14th FC)	129118	0	0	129118	0	129118
	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1232481	461261	0	1693742	1127481	566261
	कुल	**1361599**	**461261**	**0**	**1822860**	**1127481**	**695379**

नोटः- 14वें व 15वें वित्तायोग के अवधि 04/2023 से 04/2024 का अंकेक्षण ऑडिट आनलाईन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया जा चुका है एवं इस से सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियाँ भी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं।

विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31.03.2024 को सामान्य निधि/ स्व: स्रोत तथा अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष **(परिशिष्ट-3)**	**900422.37**
दिनांक 31/03/2024 को सामान्य निधि/ स्व: स्रोत तथा अन्य अनुदान के बैंक खातों अनुसार अन्तशेष **(परिशिष्ट-3)**	**1023089.22**
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर (₹900422.37-₹1023089.22) **(परिशिष्ट-3)**	**-122666.85**

4.2 ₹3.45 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एंव 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 को ग्राम पंचायत में **परिशिष्ट-3** अनुसार रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार **₹344626.85** के कुल अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकताः-

क्रम	योजना का नाम	अंतर की राशि (₹)
1	सामान्य निधि/ स्व: स्रोत (OWN/ General)/ संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)/ सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)/ विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)/ स्वच्छ भारत मिशन (SBM)/ आपदा राहत कोष (CRF)/5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	225786.9
2	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	2817.2
3	राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	5042.75
4	तीसरा राज्य वित्त आयोग (3rd SFC)	110980
	कुल	**344626.85**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ। अतः उक्त भारी अन्तर की राशि की बैंक समाधान विवरणियाँ शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए । इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.3 बंद योजनाओं में ₹1.50 लाख की शेष राशि का समाधान न करनाः- .

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न योजनाओ से सम्बन्धित रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31/03/2024 को **₹149970.9 (परिशिष्ट-3)** की शेष राशि दर्शाई गई थी जबकि यह योजना आधिकारिक रूप से बन्द हो चुकी थी, परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित न हो सका कि पंचायत द्वारा इस योजना की राशि का उचित समाधान किया गया है अथवा नहीं।

क्रम	योजना	दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंतशेष (₹)
1	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	38990.9
2	तीसरा राज्य वित्त आयोग (3rd SFC)	110980
	कुल	**149970.9**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त योजनाओं में पड़ी शेष राशियों का बैंक खातों से मिलान करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए व अपेक्षित अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 स्व: स्रोत निधि के लिए स्वतंत्र बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र बैंक खाता "क"(स्व: स्रोतों के लेन-देन हेतु)खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: बैंक खाता "क" का स्वतंत्र संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन

में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः नियमानुसार स्वः स्रोत के आय-व्यय हेतु स्वतन्त्र बैंक खाता 'क' खोला जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा में निवेश न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग- अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अपेक्षित कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

6 अनुदानः-

6.1 अनुदान राशि ₹4.25 लाख उपयोग हेतु शेषः-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2024 को **₹424658.20** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फडिंग एजेन्सी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है:-

क्रम	योजना	दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष (₹)
1	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	28469
2	आपदा राहत कोष (CRF)	74400
3	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	57

4	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	96723.30
5	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	38990.9
6	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	27623
7	राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	28985
8	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	18430
9	तीसरा राज्य वित्त आयोग (3rd SFC)	110980
	कुल	**424658.20**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अवधि बढ़ौतरी की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 प्राप्त सहायता अनुदान ₹28.23 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक निम्न विवरणानुसार **₹2823425** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है:-

क्रम	योजना	वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	कुल (₹)
1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	956609	-	956609
2	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	297669	236217	533886
3	आपदा राहत कोष (CRF)	175000	191430	366430
4	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	270000	696500	966500
	कुल	**1699278**	**1124147**	**2823425**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को यह अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जोकि अनियमित है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान से ₹26.53 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक निम्न विवरण अनुसार **₹2652710.7** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

क्रम	**योजना**	**वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय राशि (₹)**	**वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय राशि (₹)**	**कुल (₹)**
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	20000	-	20000
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	861545	-	861545
3	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	269200	236217	505417
4	आपदा राहत कोष (CRF)	100000	192030	292030
5	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ेशन प्लान (SDP)	36174	0	36174
6	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	330501	607043.7	937544.7
	कुल	**1617420**	**1035290.7**	**2652710.7**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 पंचायत राजस्व/स्वः स्रोत

7.1 गृहकर राजस्व ₹0.51 लाख वसूली हेतु शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व **परिशिष्ट-4** के

अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31-03-2024 तक पंचायत की गृहकर राजस्व राशि **₹51350** वसूली हेतु शेष थी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क बारे:-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04/10/16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में 30 दिनों के भीतर ₹200 प्रति पंजीकरण तथा 30 दिनों के बाद व 90 दिनों के भीतर ₹400 की दर से तथा 90 दिनों के पश्चात पंजीकरण की स्थिति में दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी से समुचित आदेश प्राप्त कर ₹400 की पंजीकरण शुल्क प्राप्त किए जाने का प्रावधान है।

7.2(क) विवाह पंजीकरण फीस से प्राप्त ₹0.04 लाख को रोकड़ बही में लेखांकित न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए प्रारूप-14 पर, सचिव रोकड बही बनाएगा और आय-व्यय का प्रत्येक संव्यवहार प्रधान द्वारा अधिप्रमाणित करवाया जाएगा। ग्राम पंचायत के अंकेक्षण के दौरान आय से सम्बन्धित अभिलेखों की पडताल के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-5** अनुसार विवाह पंजीकरण फीस **₹4200** की प्राप्त राशि का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित है। अतः इस राशि का रोकड बही में लेखांकन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2(ख) विवाह पंजीकरण फीस ₹0.04 लाख कम प्राप्त करना

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण के दौरान आय से सम्बन्धित अभिलेखों की पडताल के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-6** अनुसार विवाह

पंजीकरण फीस **₹3850** कम प्राप्त नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित है। अतः उपरोक्त राजस्व की राशि की कम वसूली करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली उचित स्रोत से करके शीघ्र अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 भू-राजस्व के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत को राजस्व की अनुवर्ती हानिः-

प्रधान सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ (II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 के माध्यम से भू-राजस्व की मांग, संग्रहण और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इसके अनुसार, पटवारी को अपने क्षेत्र की सभी राजस्व संपत्तियों की ढाल बछ (राजस्व आकलन सूची) तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपना होता है। इसके बाद, ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को लम्बरदार या किसी उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से भू-राजस्व की वसूली सुनिश्चित करनी होती है। इसके अलावा, उन्हें वार्षिक मांग, संग्रहण, बकाया राशि और अग्रिम भुगतान से संबंधित अभिलेख संधारित करने होते हैं, जो लेखा परीक्षा के अंतर्गत आते हैं।अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पटवार वृत्त द्वारा तैयार की गई ढाल बछ सूची ग्राम पंचायत को प्रदान नहीं की गई, जिसके कारण भू-राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि अधिसूचना में उल्लिखित भू-राजस्व मांग, संग्रहण और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। इस कारण यह निर्धारित करना संभव नहीं हो सका कि पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था और कितना बकाया रह गया, जिसकी वसूली भविष्य में लम्बरदार या अन्य एजेंसी के माध्यम से की जा सकती थी। इस लापरवाही के कारण पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ, और आवश्यक अभिलेख भी तैयार नहीं किए गए, जिससे उनकी लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त राजस्व राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.4 एक ही क्रमांक की 5 रसीद बुकें प्रयोग करना:-

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की पडताल करने पर पाया गया कि पंचायत में एक ही रसीद क्रमांक (1 से 100) की 5 रसीद बुकें प्रयोग में लाई जा रही थी जिससे प्राप्त राशियों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। चूंकि ग्राम पंचायतों को यह रसीद बहियाँ, जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित की जाती है इसलिए यह अनियमितता जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सिरमौर के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

8 व्यय

8.1 पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना ₹5.99 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार किसी भी प्रकार का भुगतान पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना नहीं किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी क्योंकि **परिशिष्ट-7 (क्रम 7 से 38)** पर वर्णित विवरण अनुसार **₹599288** के व्यय वाउचर पर प्रधान व सचिव द्वारा पारित आदेश (पे आर्डर) अंकित नही किए गए थे जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः पंचायत अपने स्तर पर छानबीन उपरान्त उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट करे तथा उचित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करे।

8.2 ₹0.90 लाख के भुगतान बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा तथा नियम 47 (1) के अनुसार प्रत्येक भुगतान बिल/वाउचर द्वारा समर्थित किया जाएगा। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की

अवहेलना करके निम्न विवरणानुसार **₹90000** के भुगतान वाउचर/बिल अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

क्रम	योजना	बिल संख्या	दिनांक	कार्य का नाम	बिल राशि (₹)
1	मनरेगा	134	22-03-22	नि० वृक्षारोपण कार्य संजीव कुमार पुत्र सूरत सिंह ग्राम टपरोली	30000
2	मनरेगा	135	22-03-22	नि० वृक्षारोपण कार्य विक्रम सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह ग्राम टपरोली	30000
3	मनरेगा	136	22-03-22	नि०वृक्षारोपण कार्य विनोद कुमार पुत्र काली राम ग्राम टपरोली	30000
				कुल	**₹90000**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 जारी करके आवश्यक अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8.3 निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.42 लाख का अनियमित व्यय

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) से (5) में स्टॉक/स्टोर को क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं जिसमें ₹1000 से अधिक के क्रय हेतु निविदाएं तथा ₹50000 से अधिक के लिए टेंडर आमन्त्रित किये जाने अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-8** अनुसार **₹41638** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि अनियमित तथा आपत्तिजनक है क्योंकि क्रय में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाकर पंचायत निधि का उचित प्रयोग नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार ही क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

8.4 संविदाकर के भुगतान बिलों से स्रोत पर ₹0.07 लाख जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती न करना :-

जी०एस०टी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/ फर्म/ संस्था/ स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor) फर्म को सेवाएं एंव वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वितीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% की दर से जी०एस०टी, टी०डी०एस की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न सेवाओं व वस्तु हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित जी०एस०टी टी०डी०एस कटौती राशि **₹6985** का विवरण **परिशिष्ट-9** पर दर्ज है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः जी०एस०टी टी०डी०एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.5 संविदाकार के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्रोत पर ₹0.01 लाख आयकर की कटौती न करना :-

आयकर अधिनियम की धारा '194 सी' के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor) फर्म को सेवाएं प्रदान करने के बदले एक बार/एकमुश्त ₹30000 से अधिक व एक वितीय वर्ष में ₹100000 से अधिक राशि के भुगतान पर न व्यक्ति व एचयूएफ (Person/HUF) से 1% की दर से तथा अन्य (Other than Person or HUF) से 2% की दर से आयकर की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को नगद अथवा बैक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न सेवाओं हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदाकार से अपेक्षित टी०डी०एस कटौती राशि **₹1000** का विवरण निम्न तालिका में दर्ज है।

योजना	वाउचर संख्या	वाउचर तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशि (₹)	टी०डी०एस कटौती दर	अपेक्षित कटौती (₹)
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/5	01-02-2024	रि० लिंक मार्ग सरवा व ठंडी धार	55	14-12-2022	श्री केशव कुमार	जे०सी०बी कार्य-59.5 घंटे	100000	1%	1000

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः आयकर टी०डी०एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.6 बिल में गणना की त्रुटि के कारण ₹332 का अधिक भुगतान:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार पंचायत द्वारा दावों के भुगतान करने से पूर्व इनकी गणित सम्बन्धी शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार बिल में गणना की अंक गणितीय त्रुटि करके **₹332** का अधिक भुगतान किया गया जोकि आपत्तिजनक है।

योजना- मनरेगा
कार्य का नाम- नि० इंटरलॉक टाइल्स मेन रोड से एस० सी बस्ती टपरोली
बिल संख्या/ दिनांक- 106/20-11-21
आपूर्तिकर्ता- कृष्ण कुमार वीरेंदर कुमार (KKVK)

मद	बिल अनुसार गणना	सही गणना	अधिक भुगतान (₹)
टी०एम०टी 10 मी०मी	171 कि०ग्रा x 56.35 = 9917 + 18% जी०एसटी= 11702	171 कि०ग्रा x 56.35 = 9636 + 18% जी०एसटी= 11370	332

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः उक्त अधिक भुगतान को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यः-

9.1 ₹11.62 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-10** पर दर्ज निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु **₹1162298** के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप इन भुगतानों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं हो सकी। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 जारी करके सचिव ग्राम पंचायत को बार-बार अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है। अतः अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इन्हें शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 फॉर्म 'X' या 'Y' प्रस्तुत किए बिना निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को ₹4.00 लाख का भुगतानः-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.-(आर.डी. एवं पी.आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर कुल सामग्री की मात्रा से सम्बंधित ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **परिशिष्ट- 11** में दर्ज विवरण अनुसार **₹399625** का अनियमित भुगतान किया गया। इस

सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 ₹7.60 लाख के निर्माण कार्यों में भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति की सत्यापना बिना करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 के अन्तर्गत कार्य समिति/निगरानी समिति का गठन अनिवार्य है जिसकी निगरानी में पंचायत के समस्त विकास कार्य निष्पादित किए जाने अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया की **परिशिष्ट-7** पर दर्ज विवरण अनुसार निर्माण कार्यों में **₹759944** का भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना बिना ही किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना उपरांत ही किये जाने सुनिश्चित किये जायें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.15 लाख के वाईडस् (Voids) की कटौती न करनाः-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री पर निर्धारित दर से वाइड्स (Voids) की कटौती नहीं की गई जबकि हि०प्र० पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 तक 5% व 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम0एम0 से लेकर 75 एम0एम0 तक 12.5% की दर से वाइड्स (Voids) की कटौती की जानी अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री पर इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को **परिशिष्ट- 12** में दर्ज विवरण अनुसार **₹14938** अधिक भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः वॉइड (Voids) की कटौती न करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अभिलेख का अनुरक्षण न करना

10.1 ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करनाः-

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त पोर्टल पर में पंचायत की चल-अचल सम्पति का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करनाः-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	5	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	बजट प्राक्कलन	11	37
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	खाता बही	29	7
9	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति एस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)

10	दुकान किराया व गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	33	10
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

11 **लघु आपति विवरणिकाः**-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

12 **निष्कर्षः**- ग्राम पंचायत के लेखों के रख-रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों मे वर्णित आपत्तियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

28 APR 2025 2492–2496

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 57/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत जदोल टपरोली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

28 APR 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

परिशिष्ट - 1
पैरा संख्या 4.1, 4.2, 4.3 में संदर्भित वर्ग,

ग्राम पंचायत जदोल टपरोली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
2022-23	3191240.37	4686149.5	92753	**7970142.87**	5742265	**2227877.87**
2023-24	2227877.87	5432517	29288	**7689682.87**	6093881.5	**1595801.37**

ग्राम पंचायत जदोल टपरोली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022-23 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
सम्मान निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	1614621.47	416153	53829	**2084603.47**	1554126.5	**530476.97**
14वां वित्त आयोग (14th FC)	147268	0	1850	**149118**	20000	**129118**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	1100343	956609	37074	**2094026**	861545	**1232481**
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	0	297669	0	**297669**	269200	**28469**
आपदा राहत कोष (CRF)	0	175000	0	**175000**	100000	**75000**
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	36231	0	0	**36231**	36174	**57**
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	67768	270000	0	**337768**	330501	**7267**
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	38990.9	0	0	**38990.9**	0	**38990.9**
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	27623	0	0	**27623**	0	**27623**
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	28985	0	0	**28985**	0	**28985**
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	18430	0	0	**18430**	0	**18430**
तीसरा राज्य वित्त आयोग (3rd SFC)	110980	0	0	**110980**	0	**110980**
मनरेगा	0	2570718.5	0	**2570718.5**	2570718.5	**0**
कुल	**3191240.37**	**4686149.5**	**92753**	**7970142.87**	**5742265**	**2227877.87**

सचिव
ग्राम पंचायत जदोल टपरोली
विकास खण्ड राजगढ़
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

परिशिष्ट -'2'
पैरा संख्या 4.1, 6.1, 6.2 व 6.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जदोल टपरोली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
सम्मान निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	530476.97	212609	29288	**772373.97**	296609.8	**475764.17**
14वां वित्त आयोग (14th FC)	129118	0	0	**129118**	0	**129118**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	1232481	461261	0	**1693742**	1127481	**566261**
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	28469	236217	0	**264686**	236217	**28469**
आपदा राहत कोष (CRF)	75000	191430	0	**266430**	192030	**74400**
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	57	0	0	**57**	0	**57**
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	7267	696500	0	**703767**	607043.7	**96723.3**
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	38990.9	0	0	**38990.9**	0	**38990.9**
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	27623	0	0	**27623**	0	**27623**
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	28985	0	0	**28985**	0	**28985**
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	18430	0	0	**18430**	0	**18430**
तीसरा राज्य वित्त आयोग (3rd SFC)	110980	0	0	**110980**	0	**110980**
मनरेगा	0	3634500	0	**3634500**	3634500	**0**
कुल	**2227877.87**	**5432517**	**29288**	**7689682.87**	**6093881.5**	**1595801.37**

सचिव
ग्राम पंचायत जदोल टपरोली
विकास खण्ड राजगढ़
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

परिशिष्ट - 3
पैरा संख्या 4.1, 4.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जदोल टपरोली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही व बैंक अनुसार अन्तर का विवरण

योजना	बैंक	खाता संख्या	रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	बैंक अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	अंतर (₹)
सम्मान निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, राजगढ़	56310100015	475764.17	947253.37	
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)			27623		
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)			57		
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)			96723.3		
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			18430		
आपदा राहत कोष (CRF)			74400		
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)			28469		
	कुल		721466.47	947253.37	-225786.9
14वां वित्त आयोग (14th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, राजगढ़	56310122739	129118	0	129118
15वां वित्त आयोग (15th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, राजगढ़	56310124894	566261	762595	-196334
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, राजगढ़	56310113794	38990.9	41808.1	-2817.2
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	यूको बैंक, धामला	14350101103351	28985	34027.75	-5042.75
तीसरा राज्य वित्त आयोग (3rd SFC)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		110980		110980
	महायोग		1595801.37	1785684.22	-189882.85

सचिव
ग्राम पंचायत जदोल टपरोली
तह० एवं विकास खण्ड राजगढ़, सिरमौर (हि०

22

परिशिष्ट - 5
पैरा सं० 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जदोल टपरोली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31/03/2024 को गृहकर वसूली सम्बन्धी सुचना:-

वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायत में परिवारों की संख्या- **397**

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रति वर्ष गृहकर दर- **50 ₹/प्रति परिवार**

वर्ष 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायत में परिवारों की संख्या- **410**

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति वर्ष गृहकर दर- **50 ₹/प्रति परिवार**

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	36000	19850	**55850**	25000	**30850**
2023-24	30850	20500	**51350**	0	**51350**

सचिव
ग्राम पंचायत जदोल टपरोली
त०व० एवं विकास खण्ड राजगढ़, सिरमौर (हि०

विवाह पंजीकरण फीस से प्राप्त राशि जिसे रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया

परिशिष्ट-5
"पैरा संख्या 7.2 (क) में संदर्भित"

क्रम	जोडे का नाम	विवाह की दिनांक/ विवाह पंजीकरण की दिनांक	विवाह पंजीकरण रजिस्टर पृ0 सं0	रसीद संख्या/ दिनांक	प्राप्त राशि (₹)
1	श्री जगमेश सिंह/ श्रीमती शिवानी	27-09-22/ 25-10-22	60	007/ अंकित नहीं	400
2	श्री देवदत्त/ श्रीमती प्रियंका शर्मा	27-09-22/ 25-10-22	60	004/ अंकित नहीं	200
3	श्री विनोद कुमार/ श्रीमती कल्पना कुमारी	07-10-22/ 25-10-22	60	005/अंकित नहीं	200
4	श्री जितेन्द्र कुमार/ श्रीमती पायल (बी०पी०एल परिवार)	13-12-22/ 13-12-22	60	006/ अंकित नहीं	100
5	श्री भूपेन्द्र सिंह/ श्रीमती काजल	07-12-22/ 19-12-22	61	008/ अंकित नहीं	200
6	श्री राहुल/ श्रीमती दविन्द्रा	20-12-22/ 21-01-23	61	009/ अंकित नहीं	50
7	श्री अनु ठाकुर/ श्रीमती नेहा	26-01-23/ 13-02-23	62	010/ अंकित नहीं	200
8	श्री कपिल/ श्रीमती संजना	15-01-23/ 13-03-23	62	011/ अंकित नहीं	400
9	श्री अंकुश कुमार/ श्रीमती रेणु शर्मा	09-03-23/ 31-03-23	62	012/ अंकित नहीं	200
10	श्री हनी सिंह/ श्रीमती दिव्यानी कंवर	25-11-22/ 31-03-23	62	013/ अंकित नहीं	400
11	श्री अरुण सिंह/ श्रीमती आँचल	12-05-23/ 25-05-23	63	014/ अंकित नहीं	200
12	श्री राकेश/ श्रीमती रोजी (बी०पी०एल परिवार)	12-05-23/ 25-05-23	63	015/ अंकित नहीं	50
13	श्री आशीष सैन/ श्रीमती संध्या कुमारी	30-05-23/ 21-06-23	63	016/ अंकित नहीं	200
14	श्री जितेन्द्र सिंह कंवर/ श्रीमती पूनम कंवर (बी०पी०एल परिवार)	01-07-23/ 07-07-23	64	017/ अंकित नहीं	50
15	श्री कवि राज/ श्रीमती अंशु कुमारी	15-08-23/ 12-09-23	64	019/ अंकित नहीं	200
16	श्री सागर/ श्रीमती नेहा	08-09-23/ 25-09-23	64	020/ अंकित नहीं	200
17	श्री संदीप कुमार/ श्रीमती पूजा	07-09-23/ 28-09-23	64	022/ अंकित नहीं	400
18	श्री रणबीर सिंह/ श्रीमती बीना कुमारी (बी०पी०एल परिवार)	23-09-23/ 18-10-23	65	021/ अंकित नहीं	50
19	श्री राम चन्द्र/ श्रीमती उमा	26-09-23/ 18-03-24	66	023/ अंकित नहीं	100
20	श्री मनीष कुमार/ श्रीमती नेहा	28-11-23/ 23-03-24	66	024/ अंकित नहीं	400
		कुल			**4200**

Tarun Saini
(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P. Jadol Tapoli
फोन-9736161012

24

कम प्राप्त विवाह पंजीकरण राशि का विवरण

परिशिष्ट-6
"पैरा संख्या 7.2 (ख) में संदर्भित"

क्रम	जोडे का नाम	विवाह की दिनांक/ विवाह पंजीकरण की दिनांक	विवाह पंजीकरण रजिस्टर पृ0 सं0	रसीद संख्या/ दिनांक	प्राप्त राशि (₹)	प्राप्ति योग्य राशि (₹)	कम/ न प्राप्त राशि (₹)
1	श्री तुलाराम/ श्रीमती सुमन	12-06-22/18-07-22	58	-	0	200	200
2	श्री विनोद शर्मा/ श्रीमती पूनम शर्मा	अंकित नहीं	58	-	0	200	200
3	श्री राजीव कुमार/ श्रीमती शिक्षा	22-02-22/25-08-22	58	-	0	400	400
4	श्री स्वराज/ श्रीमती तमन्ना (बी०पी०एल परिवार)	09-07-22/28-08-22	59	003/अंकित नहीं	50	100	50
5	श्री संसार सिंह/ श्रीमती किरण	03-09-22/ 03-09-22	59	-	0	200	200
6	श्री अनुज/ श्रीमती राधा देवी	01-09-22/ 15-09-22	59	-	0	200	200
7	श्री बलबीर/ श्रीमती अनीता	01-09-22/ 28-09-22	59	-	0	200	200
8	श्री संजीव कुमार/ श्रीमती पूजा	09-12-22/ 04-01-23	61	-	0	400	400
9	श्री तनवीर सिंह/ श्रीमती बबिता	27-08-22/ 17-01-23	61	-	0	400	400
10	श्री मोहित शर्मा/ श्रीमी मिनाक्षी	12-06-23/ 28-06-23	63	-	0	200	200
11	श्री रमन/ श्रीमती आंचल	30-04-23/ 23-12-23	65	-	0	400	400
12	श्री वीरेंदर/ श्रीमती रिया	13-12-23/ 01-01-24	65		0	200	200
13	श्री विक्की/ श्रीमती मधुबाला	04-10-23/ 20-02-24	66	-	0	400	400
14	श्री दुष्यंत/ श्रीमती पूजा	19-11-23/ 20-02-24	66		0	400	400
		कुल					**3850**

Tarun Saini
(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Jadol Tapoli
फोन-9736161012

ग्राम पंचायत में व्यय हेतु चयनित मास में मस्टरोल पर किये गए भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-7

"पैरा संख्या 8.1 व 9.3 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	दिनांक	बिल राशि (₹)
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/1	30-05-22	रि० पेयजल पाइपलाइन चौपडू नाला से धार काला बाग़	69	30-05-22	20000
2	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/11	01-02-24	रि० पंचायत घर	2	01-02-24	16000
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/9	01-02-24	नि० डन्गा श्री सुशिल कुमार	78	01-02-24	35128
4	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/9	02-02-24	नि० डन्गा श्री खज़ान सिंह	79	02-02-24	35128
5	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/63	26-03-23	नि० चबूतरा काली माता मंदिर उप्पर शिरवा	34	26-03-23	25000
6	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/69	26-03-23	नि० चबूतरा रुग	53	26-03-23	19500
					13950/2012	26-03-23	9900
7	मनरेगा		05-05-22	सी/ओ एल/डी कार्य प्रदीप पुत्र नेतर सिंह कुफ्फर	849	05-05-22	12402
			05-05-22		849	05-05-22	8268
8	मनरेगा		05-05-22	सी/ओ एल/डी कार्य रंजना डब्ल्यू/ओ राजेंद्र विलेज पेन कुफर एमएम1बीवाई	851	05-05-22	8268
			05-05-22		851	05-05-22	8268
9	मनरेगा		05-05-22	सी/ओ काऊ शेड ऑफ वर्क बलदेव सिंह पुत्र रत्ती राम गांव पैण कुफर	861	05-05-22	5512
			05-05-22		861	05-05-22	13780
10	मनरेगा		05-05-22	सी/ओ काऊ शेड ऑफ वर्क सत्या देवी पत्नी बीर सिंह गांव पैन कुफ	862	05-05-22	5512
			05-05-22		862	05-05-22	5512
11	मनरेगा		05-05-22	सी/ओ काऊ शेड ऑफ वर्क राखा देवी पत्नी मोहन सिंह गांव पैन कुफर	868	05-05-22	6513
			05-05-22		868	05-05-22	13026
12	मनरेगा		05-05-22	सी/ओ गो शाला ऑफ वर्क पूनम पत्नी दिलीप सिंह गांव पेन कुफर	870	05-05-22	13026
			05-05-22		870	05-05-22	4342
13	मनरेगा		07-05-22	सी/ओ काऊ शेड कार्य श्री रमेश कुमार पुत्र श्री हरी राम गांव बीएड जामोली	872	07-05-22	13766.35
			07-05-22		872	07-05-22	13766.35
			07-05-22		873	07-05-22	5506.54
14	मनरेगा		07-05-22	सी/ओ काऊ शेड ऑफ वर्क संजीव कुमार पुत्र क्लेयन सिंह गांव कुमारला	875	07-05-22	16529.76
			07-05-22		875	07-05-22	5509.92

15	मनरेगा		07-05-22	सी/ओ काऊ शेड ऑफ वर्क संध्या कंवर पत्नी अजीत सिंह गांव पैन कुफर	879	07-05-22	8700.9
			07-05-22		879	07-05-22	2900.3
			07-05-22		880	07-05-22	4350.45
16	मनरेगा		07-05-22	सी/ओ काऊ शेड अनिल कुमार विलेज पैन कुफर	887	07-05-22	12689.3
			07-05-22		887	07-05-22	5075.72
17	मनरेगा		07-05-22	सी/ओ एल/डी कार्य श्री जगदीश चंद पुत्र श्री चेत राम गांव कर्मोती	896	07-05-22	11008.92
			07-05-22		896	07-05-22	13761.15
18	मनरेगा		07-05-22	सी/ओ कच्चा डंगा दलीप सिंग पुत्र बेलू राम विल पेन	894	07-05-22	5509.92
			07-05-22		894	07-05-22	5509.92
19	मनरेगा		05-05-22	कच्चा डांगा श्री शेमशेर सिंह पुत्र काली राम गांव पेन कुफर	892	05-05-22	8268
			05-05-22		892	05-05-22	16536
20	मनरेगा		05-05-22	सी/ओ रास्ता जडोल से एससीबस्ती	890	05-05-22	8268
			05-05-22		890	05-05-22	13780
			05-05-22		891	05-05-22	8268
21	मनरेगा		05-05-22	सी/ओ डांगा एल/आर काला बैग रेवती देवी के घर के पास	889	05-05-22	11024
			05-05-22		889	05-05-22	8268
			05-05-22		7285	05-05-22	2810.5
			05-05-22		7285	05-05-22	5621
22	मनरेगा		09-02-24	सी/ओ पी/वॉल डंगा इरी बांध के नीचे नरेंद्र सिंह पुत्र लछमी सिंह की जमीन में	5863	09-02-24	11760
23	मनरेगा		22-02-24	सी/ओ डांगा सामुदायिक भवन किचन शेड टपरोली के उप्र	6203	22-02-24	21840
			22-02-24		6204	22-02-24	2160
24	मनरेगा		22-02-24	सी/ओ गो शाला निर्मला देवी पत्नी देवेंदर गांव जाडोल टपरोली	6210	22-02-24	18720
25	मनरेगा		07-02-24	सी/ओ गो शाला रोशन पुत्र धनिया राम गांव पेन कुफर	5877	07-02-24	18900
26	मनरेगा		07-02-24	सी/ओ गो शाला कांता देवी पत्नी नेरटर सिंह गांव पेन कुफर	5885	07-02-24	21600
27	मनरेगा		22-02-24	सी/ओ गो शाला नवेदिता शर्मा पत्नी अश्वनी कुमार ग्राम कुम्हारला	6277	22-02-24	12480
28	मनरेगा		22-02-24	सी/ओ गो शाला रोशनी देवी पत्नी श्री खजान सिंह जीपी जाडोल टपरोली	6300	22-02-24	21840
29	मनरेगा		22-02-24	सी/ओ गो शाला कृष्णा देवी पत्नी दीप राम गांव ठंडी धार	6279	22-02-24	15600
30	मनरेगा		22-02-24	सी/ओ गो शाला श्री मान सिंह पुत्र श्री डांस राम गांव ठंडी धार	6284	22-02-24	22800

31	मनरेगा		07-02-24	सी/ओ गो शाला उमा देवी पत्नी श्री दुर्गा सिंह गांव टपरोली	5879	07-02-24	3360
32	मनरेगा		22-02-24	सी/ओ गो शाला बबीता देवी पत्नी देवेन्द्र सिंह ग्राम जाडोल	6286	22-02-24	18720
33	मनरेगा		22-02-24	सी/ओ एल/डी वर्क राजीव कुमार जादोल	6281	22-02-24	24960
34	मनरेगा		07-02-24	सी/ओ एल/डी कार्य मनोज कुमार पुत्र श्री बलदेव सिंह गांव टपरोली	5986	07-02-24	11040
35	मनरेगा		07-02-24	सी/ओ गो शाला योगेश कुमार पुत्र रणजीत सिंह कार्यालय क्रमांक 2	5880	07-02-24	11280
36	मनरेगा		07-02-24	सी/ओ डांगा रूप सिंह पुत्र जालम सिंह गांव घरोटी	5883	07-02-24	24000
37	मनरेगा		07-02-24	सी/ओ गो शाला मोती सिंह पुत्र जय सिंह गांव जाडोल टपरोली	5887	07-02-24	15120
38	मनरेगा		07-02-24	सी/ओ गो शाला विनोद कुमार पुत्र काली राम गांव टपरोली	5882	07-02-24	11250
				कुल			**759944**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P. Jadol Taproli
फोन-9736161012

निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना किये गए व्यय का विवरण

परिशिष्ट-8
"पैरा संख्या 8.3 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशि (₹)
1	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2022-23/P/3	10-05-2022	नि० सामुदायिक भवन कुफर व नि० चबूतरा घो	467	09-05-2022	श्री नरेश कुमार	सामग्री ढुलाई	7800
2	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/12	01-02-2024	रि० लिंक मार्ग सरवा व ठंडी धार	412	05-01-2024	श्री नरेश कुमार	सामग्री ढुलाई	9000
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/4	01-02-2024	नि० चुचु मियां मेमोरियल	KHS/23-24-1688	04-11-2023	खेड़ा हार्डवेयर स्टोर	पेंट सामग्री	6850
4	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/15	17-02-2024	कार्यालय व्यय	05, 06	11-01-2024	अंश स्टेशनरी	स्टेशनरी सामग्री	8110
5	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/16	17-02-2024	कार्यालय व्यय	441	23-08-2023	नितिन प्रिंटर्स	कार्यालय समन्धि सर्टिफिकेट	3878
6	मनरेगा		27-02-2024	नि० रसोईघर शेड, टपरोली	62	06-05-2022	श्री रणदीप सिंह वर्मा	सामग्री ढुलाई	6000
				कुल					**41638**

Tarun Saini
(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Jadol Taproli
फोन-9736161012

29

वर्ष 2023-24 के दौरान अपेक्षित जी०एस०टी टी०डी०एस की गणना

परिशिष्ट-9

"पैरा संख्या 8.4 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशि (₹)	टी०डी०एस कटौती दर	अपेक्षित कटौती (₹)
1	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/12	01-02-2024	रि० लिंक मार्ग सरवा व ठंडी धार	412	05-01-2024	श्री नरेश कुमार	सामग्री ढुलाई	9000	2%	180
2	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/6 व P/7	01-02-2024	नि० डन्गा श्री खज़ान सिंह व नि० डन्गा श्री सुशिल कुमार	471	28-01-2024	श्री नरेश कुमार	रेत- 200 क्यु०फी	15000	2%	300
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/17	14-02-2024	अतिरिक्त राशि नि० सामुदायिक भवन टपरोली	413	08-02-2024	श्री नरेश कुमार	बजरी- 141 क्यु०फी	35280	2%	706
							श्री नरेश कुमार	रेत- 241 क्यु०फी	18075	2%	362
4	मनरेगा		27-02-2024	नि० पक्का रास्ता कुफर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पैन	409	08-12-2023	श्री नरेश कुमार	रेत- 700 क्यु०फी	52500	2%	1050
			27-02-2024		410	08-12-2023	श्री नरेश कुमार	बजरी 10 मी०मी- 350 क्यु०फी	28000	2%	560
			27-02-2024		411	08-12-2023	श्री नरेश कुमार	बजरी 20 मी०मी - 980 क्यु०फी	78400	2%	1568
5	मनरेगा			नि० इंटरलॉक टाइल्स मेन रोड से एस० सी बस्ती टपरोली	79	15-12-2022	श्री नरेश कुमार	बजरी 10 मी०मी- 1.93 क्यु०मी	5404	2%	108
							श्री नरेश कुमार	बजरी 20 मी०मी- 9.84 क्यु०मी	27552	2%	551
							श्री नरेश कुमार	बजरी 40 मी०मी- 10.72 क्यु०मी	30016	2%	600
			27-02-2024		78	15-12-2022	श्री नरेश कुमार	रेत- 19.23 क्यु०मी	49998	2%	1000
							कुल				**6985**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत्त सिरमौर
कैम्प- G.P. Jadol Taproli
फोन-9736161012

30

निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं प्रस्तुत किये बिना किये गए भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-10

"पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या/ मस्टर रोल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)
1	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2022-23/P/2	07-05-2022	नि० सामुदायिक भवन कुफर व नि० चबूतरा घो	CS052-22-0025021	07-07-2022	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 130 बैग	41340
2	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2022-23/P/3	10-05-2022	नि० सामुदायिक भवन कुफर व नि० चबूतरा घो	465	09-05-2022	श्री नरेश कुमार	ईंट- 3000	30000
								रेत- 200 क्यु०फी	15000
					460	09-05-2022	श्री नरेश कुमार	बजरी- 180 क्यु०फी	14400
					467	09-05-2022	श्री नरेश कुमार	सामग्री ढुलाई	7800
3	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/1	30-05-2022	रि० पेयजल पाइपलाइन चौपडू नाला से धार काला बाग़	69		मस्टर रोल भुगतान		20000
4	मनरेगा		17-05-2022	सी/ओ इंटर लॉक लाइल्स मेन रोड से एससी बस्ती टपरोली	106	20-11-2021	कृष्ण कुमार वीरेंदर कुमार (KKVK)	सरिया	19537
	मनरेगा		17-05-2022		473	20-11-2021	हिमालयन इंजिनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि०	इंटरलॉक टाइल- 10397	233932.5
	मनरेगा		30-05-2022		62304	20-11-2021	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 150 बैग	47073
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/10 व P/11	01-02-2024	नि० डन्गा श्री खज़ान सिंह व नि० डन्गा श्री सुशिल कुमार	CS052-23-0473220	29-12-2023	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 40 बैग	15160
6	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/11	01-02-2024	रि० पंचायत घर	2		मस्टर रोल भुगतान		16000
7	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/12	01-02-2024	रि० लिंक मार्ग सरवा			श्री पवन कुमार	जे०सी०बी कार्य- 25 घंटे	25000
8	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/12	01-02-2024	रि० लिंक मार्ग सरवा व ठंडी धार	412	05-01-2024	श्री नरेश कुमार	सामग्री ढुलाई	9000
	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/13	01-02-2024	अतिरिक्य राशी नि० सामुदायिक भवन एस०सी बस्ती पैन	भुगतान कच्ची रसीद पर किया गया था				10004
9	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/4	01-02-2024	नि० चुचु मियां मेमोरियल	KHS/23-24-1688	04-11-2023	खेड़ा हार्डवेयर स्टोर	पेंट सामग्री	6850
10	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/5	01-02-2024	रि० लिंक मार्ग सरवा व ठंडी धार	55	14-12-2022	श्री केशव कुमार	जे०सी०बी कार्य- 59.5 घंटे	100000
11	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/6 व P/7	01-02-2024	नि० डन्गा श्री खज़ान सिंह व नि० डन्गा श्री सुशिल कुमार	471	28-01-2024	श्री नरेश कुमार	रेत- 200 क्यु०फी	15000
12	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/9	01-02-2024	नि० डन्गा श्री सुशिल कुमार	78		मस्टर रोल भुगतान		35128

13	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/9	02-02-2024	नि० डन्गा श्री खज़ान सिंह	79		मस्टर रोल भुगतान		35128
14	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/17	14-02-2024	अतिरिक्त राशी नि० सामुदायिक भवन टपरोली	413	08-02-2024	श्री नरेश कुमार	बजरी- 141 क्यु०फी	35280
15							श्री नरेश कुमार	रेत- 241 क्यु०फी	18075
16	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/18	15-02-2024	अतिरिक्त राशी नि० सामुदायिक भवन टपरोली	KHS/23-24-2443	08-02-2024	खेड़ा हार्डवेयर स्टोर	सरिया, आदि	35520
17	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/14 व P/15	01-02-2024	नि० डन्गा श्री खज़ान सिंह व नि० डन्गा श्री सुशिल कुमार	7	20-02-2024	पी०आर०एल ट्रांसपोर्ट	सामग्री ढुलाई	2800
18	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/16	22-02-2024	अतिरिक्त राशी नि० सामुदायिक भवन टपरोली	CS052-23-0514832	22-02-2024	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 70 बैग	26600.7
19	मनरेगा		27-02-2024	नि० पक्का रास्ता कुफर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पैन	409	08-12-2023	श्री नरेश कुमार	रेत- 700 क्युफी	52500
			28-02-2024		410	08-12-2023	श्री नरेश कुमार	बजरी 10 मी०मी- 350 क्यु०फी	28000
			29-02-2024		411	08-12-2023	श्री नरेश कुमार	बजरी 20 मी०मी - 980 क्यु०फी	78400
			01-03-2024		79707	13-12-2023	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 200 बैग	75800
20	मनरेगा		02-03-2024	नि० इंटरलॉक टाइल्स मेन रोड से एस० सी बस्ती टपरोली	79	15-12-2022	श्री नरेश कुमार	बजरी 10 मी०मी- 1.93 क्यु०मी	5404
			03-03-2024		79	15-12-2022	श्री नरेश कुमार	बजरी 20 मी०मी- 9.84 क्यु०मी	27552
					79	15-12-2022	श्री नरेश कुमार	बजरी 40 मी०मी- 10.72 क्यु०मी	30016
					78	15-12-2022	श्री नरेश कुमार	रेत- 19.23 क्यु०मी	49998
				कुल					**1162298**

Tarun Saini

(तरुण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P. Jadol Taproli
फोन-9736161012

32

निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-11

"पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)
1	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2022-23/P/3	10-05-2022	नि० सामुदायिक भवन कुफर व नि० चबूतरा घो	465	09-05-2022	श्री नरेश कुमार	ईंट-3000	30000
								रेत- 200 क्यु०फी	15000
					460	09-05-2022	श्री नरेश कुमार	बजरी-180 क्यु०फी	14400
2	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/6 व P/7	01-02-2024	नि० डन्गा श्री खज़ान सिंह व नि० डन्गा श्री सुशिल कुमार	471	28-01-2024	श्री नरेश कुमार	रेत- 200 क्यु०फी	15000
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/17	14-02-2024	अतिरिक्त राशी नि० सामुदायिक भवन टपरोली	413	08-02-2024	श्री नरेश कुमार	बजरी-141 क्यु०फी	35280
							श्री नरेश कुमार	रेत- 241 क्यु०फी	18075
4	मनरेगा		27-02-2024	नि० पक्का रास्ता कुफर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पैन	409	08-12-2023	श्री नरेश कुमार	रेत- 700 क्यु०फी	52500
			28-02-2024		410	08-12-2023	श्री नरेश कुमार	बजरी 10 मी०मी-350 क्यु०फी	28000
			29-02-2024		411	08-12-2023	श्री नरेश कुमार	बजरी 20 मी०मी -980 क्यु०फी	78400
5	मनरेगा		02-03-2024	नि० इंटरलॉक टाइल्स मेन रोड से एस० सी बस्ती टपरोली	79	15-12-2022	श्री नरेश कुमार	बजरी 10 मी०मी-1.93 क्यु०मी	5404
			03-03-2024		79	15-12-2022	श्री नरेश कुमार	बजरी 20 मी०मी-9.84 क्यु०मी	27552
					79	15-12-2022	श्री नरेश कुमार	बजरी 40 मी०मी-10.72 क्यु०मी	30016
					78	15-12-2022	श्री नरेश कुमार	रेत-19.23 क्यु०मी	49998
				कुल					399625

Tarun Saini
(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P. Jadol Tapooli
फोन-9736161012

...इड्स (Voids) की अपेक्षित कटौती का विवरण

परिशिष्ट-12

"पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)	अपेक्षित कटौती	कटौती राशी (₹)
1	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2022-23/P/3	10-05-2022	नि० सामुदायिक भवन कुफर व नि० चबूतरा घो	460	09-05-2022	श्री नरेश कुमार	बजरी-180 क्यु०फी	14400	10.00%	1440
2	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/17	14-02-2024	अतिरिक्त राशी नि० सामुदायिक भवन टपरोली	413	08-02-2024	श्री नरेश कुमार	बजरी-141 क्यु०फी	35280	10.00%	3528
3	मनरेगा		27-02-2024	नि० पक्का रास्ता कुफर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पैन	410	08-12-2023	श्री नरेश कुमार	बजरी 10 मी०मी-350 क्यु०फी	28000	5.00%	1400
			28-02-2024		411	08-12-2023	श्री नरेश कुमार	बजरी 20 मी०मी - 980 क्यु०फी	78400	5.00%	3920
4	मनरेगा		02-03-2024	नि० इंटरलॉक टाइल्स मेन रोड से एस० सी बस्ती टपरोली	79	15-12-2022	श्री नरेश कुमार	बजरी 10 मी०मी-1.93 क्यु०मी	5404	5.00%	270
			03-03-2024		79	15-12-2022	श्री नरेश कुमार	बजरी 20 मी०मी-9.84 क्यु०मी	27552	5.00%	1378
					79	15-12-2022	श्री नरेश कुमार	बजरी 40 मी०मी-10.72 क्यु०मी	30016	10.00%	3002
				कुल							**14938**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Jodol Taprooli
फोन-9736161012